

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-4/अ0प्र0-2-08/2025

655

/पटना, दिनांक:- 1-12-25

श्रीमती संची सिमरन, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम, 220 (ख) के प्रावधानानुसार प्रथम संतानोत्पत्ति के प्रयोजनार्थ दिनांक-03.12.2025 से 31.05.2026 तक के लिए 180 दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।


(निर्मल कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

/पटना, दिनांक:-

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-2-08/2025

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

/पटना, दिनांक:-

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-2-08/2025

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि श्रीमती संची सिमरन, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर का स्वीकृत मातृत्व अवकाश अवधि को उनके सेवा पुरत में निश्चित रूप से अंकित करते हुए नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय।


अभियंता प्रमुख-सह-

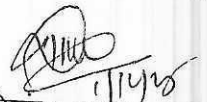
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

/पटना, दिनांक:-

1-12-25

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-2-08/2025 12108

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-03, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, मुंगेर/ श्रीमती संची सिमरन, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।